

समाहरणालय सिवान

(जिला स्थापना शाखा)

—: आदेश :-

सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-73 (5) दिनांक- 21.03.2018 के द्वारा बजट मुख्य शीर्ष-2029 भू-राजस्व-104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मॉग सं0-40 विपत्र कोड 40-2029001040001 अन्तर्गत 2802 संविदा सेवायें मद में वित्तीय वर्ष-2017-18 में व्यय हेतु प्राप्त आवंटन को निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है।

क्र0	कार्यालय का नाम	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं मद		
		पूर्व का उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	5	6
1	स्थापना उप समाहर्ता, सिवान	600000.00	560000.00	1160000.00
2	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिवान सदर	0.00	0.00	0.00
3	भूमि सुधार उप समाहर्ता, महाराजगंज	0.00	400000.00	400000.00
4	अंचल अधिकारी, मैरवा	50000.00	720000.00	770000.00
5	अंचल अधिकारी, सिवान सदर	75000.00	3500000.00	3575000.00
6	अंचल अधिकारी, पचरुखी	75000.00	1400000.00	1475000.00
7	अंचल अधिकारी, सिसवन	50000.00	1200000.00	1250000.00
8	अंचल अधिकारी, महाराजगंज	25000.00	810000.00	835000.00
9	अंचल अधिकारी, बसंतपुर	25000.00	450000.00	475000.00
10	अंचल अधिकारी, रघुनाथपुर	25000.00	200000.00	225000.00
11	अंचल अधिकारी, जीरादेई	50000.00	1100000.00	1150000.00
12	अंचल अधिकारी, लकड़ीनबीगंज	25000.00	250000.00	275000.00
13	अंचल अधिकारी, नवतन	106000.00	1700000.00	1806000.00
14	अंचल अधिकारी, हसनपुरा	0.00	100000.00	100000.00
15	अंचल अधिकारी, दरौदा	25000.00	850000.00	875000.00
16	अंचल अधिकारी, आन्दर	25000.00	40000.00	65000.00
17	अंचल अधिकारी, गोरेयाकोठी	25000.00	70000.00	95000.00
18	अंचल अधिकारी, हुसैनगंज	25000.00	200000.00	225000.00
19	अंचल अधिकारी, बड़हरिया	25000.00	625000.00	650000.00
20	अंचल अधिकारी, भगवानपुरहाट	25000.00	425000.00	450000.00
21	अंचल अधिकारी, गुठनी	25000.00	0.00	25000.00
22	अंचल अधिकारी, दरौली	25000.00	400000.00	425000.00
	कुल योग :-	1306000.00	15000000.00	16306000.00

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायेगी।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड, मॉग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561-वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह की 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
- उपावंटित राशि का व्यय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर नियमानुसार करेंगे।

62

जिला पदाधिकारी
सिवान

ज्ञापांक-VIII-04/17-362...../स्थापना, सिवान, दिनांक 23.. मार्च 2018 ई0.

प्रतिलिपि :-स्थापना उप समाहर्ता, सिवान/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिवान सदर/महाराजगंज एवं सभी अंचलाधिकारी, सिवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-वरीय कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-73 (5) दिनांक- 21.03.2018 की छायाप्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
सिवान